सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (एसडीओ)
गुड़ामालानी जिला बाडमेर (राज0)

वादीगण :–

1. मोहन पुत्र वाला उम्र 40 वर्ष
2. वगता पुत्र वाला उम्र 35 वर्ष
3. चूना पुत्र वाला उम्र 25 वर्ष
4. छगता पुत्र वाला उम्र 20 वर्ष
5. पदमों पत्नी वाला उम्र 60 वर्ष
6. खेता पुत्र राणा उम्र 40 वर्ष
7. माना पुत्र राणा उम्र 30 वर्ष
8. तारी पत्नी राणा उम्र 60 वर्ष
9. महेन्द्रा पुत्र हीरा उम्र 60 वर्ष जाति भील निवासी भीलों का गोल पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सता पुत्र चिमा उम्र 70 वर्ष
2. फोजाराम पुत्र चिमाराम उम्र 60 वर्ष
   जाति भील निवासी भीलों का गोल पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर (राज0)
3. तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92क, 183 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते प्रतिषेधात्मक व आज्ञात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने ।

Reader
chek report
4/1

महोदयजी,

वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार है–

1. कि वादीगण की खातेदारी के खेत ग्राम भीलों का गोल पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 366 रकबा 67 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उपरोक्त खसरों की भूमि पर वादीगण का पीढ़ियों से सेटलमेन्ट से पूर्व, सेटलमेन्ट के समय, सेटलमेन्ट के पश्चात आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी साथ पेश है ।
2. कि वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 366 रकबा 67 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी सोयम के पडौस में प्रतिवादी [illegible] 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 366/1 रकबा 5 बीघा [illegible] के खसरा 387 रकबा 4 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी का आया हुआ है। वादीगण शान्तिप्रिय कानून में विश्वास करने वाले है मजदूरी कर अपना जीवनयापना करते है जिसका [illegible] फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 366 और खसरा नम्बर 366/1 के बीच बने सेढे को तोड़ कर वादीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 366 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्य कानून को हाथ में लेकर अवैध रुप से अपना कब्जा पुख्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

अग्रिम

करने की नीयत से रातों रात निर्माण कार्य कर जबरन कब्जा करने पर आमादा है और करीबन 15 रोज से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्य लगातार बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं।

3. कि वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 366 रकबा 67 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है और न ही कोई कब्जा काश्त ही है। उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्य वादीगण को कमजोर व शान्त प्रवृति के व्यक्ति होने की वजह से अपने ताकत के बल पर कानून को हाथ में लेकर अवैध रुप से बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकियें दी तो वादीगण ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नहीं माने। तब वादीगण को यह वाद लाना लाजमी हो गया है।

4. कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीगण अपने पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध इस आश्य की प्रतिषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि ग्राम भीलो का गोल पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 366 रकबा 67 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी सोयम में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और न ही हस्तक्षेप करे और न ही जबरन कब्जा करे और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे और वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करे ।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्य रातों रात कानून को हाथ में लेकर वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 366 पर अपना कब्जा पुख्ता करने की नीयत से अस्थाई निर्माण कार्य कर कब्जा करने पर आमादा है । यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दौराने दावा एवं वाद की जांच से कब्जा करना पाया जावे तो उक्त खसरे की भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जाने हेतु आज्ञात्मक निषेधाज्ञा के मार्फत निर्देश व आदेश दिया जावे।

5. कि बिनायदावा बमुकाम भी[illegible] मालपुरा तहसील गुड़ामालानी में जब खसरा नम्बर 366 व [illegible] खातेदारी मे दर्ज हुए तब व अर्सा करीबन 15 रोज से वादीगण [illegible] 2 [illegible] बेदखल करने की धमकियें दी तब–तब उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर [illegible] हुआ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

6. कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भीलों की ढाणी पटवार क्षेत्र मालपुरा में स्थित होने से एवं वाद कारण उक्त ग्राम में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है ।

7. कि यह वाद अन्तर्गत धारा 188, 92क, 183 व 209 रा0का0अधि0 के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस रुपये 4/– के स्टाम्प पेश है और यह वाद अन्दर मयाद पेश है ।

8. कि वादीगण की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादीगण और खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे–

(क) कि प्रतिषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा के मार्फत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों को पाबन्द व बाध्य किया जावे कि ग्राम भीलों का गोल पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 366 रकबा 67 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी सोयम भूमि में वादीगण के कब्जे व काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और न ही हस्तक्षेप करे और न ही जबरन कब्जा करे और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे और वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करें ।

(ख) कि आज्ञात्मक स्थाई निषेधाज्ञा के मार्फत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों को निर्देश व आदेश दिया जावे कि उपरोक्त वर्णित खसरे पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दौराने दावा कब्जा करने या वाद की जांच से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों का उपरोक्त खसरों की भूमि पर कब्जा होना पाया जावे तो उपरोक्त खसरों की भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करे ।

(ग) कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित वादीगण की खातेदारी के खसरे पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवम् उनके परिवार के सदस्यों का कब्जा होना पाया जावे तो धारा 183 रा0 का0 अधि0 के तहत हटाया जावे ।

(घ) कि वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

(ड़) कि अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष मे प्रमाणित हो तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलाई जावे ।

अ0नि0
मोहन

दिनांक–16.04.2018
स्थान–गुड़ामालानी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यापन–मैं मोहन पुत्र वाला उम्र 40 वर्ष जा[illegible] निवासी भीलों का गोल पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गु[illegible] यह सत्यापित करता हूँ कि उक्त वादपत्र के पद संख्या 1 से 5 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य है तथा इसमें कोई कथन छिपाया नहीं गया है तथा वादपत्र के पद संख्या 6 व 7 कानूनी सलाह के आधार पर सही होने का विश्वास करता हूँ तथा वादपत्र के पद संख्या 8 हम वादीगण की इस्तदुआ है जो स्वीकार की जावे।

इति दिनांक :–16.04.2018

अ0नि0

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/20	वादीगण वकील उपस्थित। वादीगण वकील साक्ष्य कराने हेतु एक अवसर और चाहते हैं जो अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 19/3/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	
19/3/20	पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। कोर्ट समय में तीन बार अलग-अलग समय में आवाजें लगवाई जाने के बावजूद वादीगण व उनके अधिवक्ता गैर हाजिर। लिहाजा पत्रावली अदम पैरवी हाजरी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.02.01 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested